राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 679/2022

श्रीमती परी बाई —अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, पंचायती राज एवं प्रारंभिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय जयपुर।
2. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, जैसलमेर, राजस्थान।

—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 08.11.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : कोई उपस्थित नहीं
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री यशवंत मेहता, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया है। इस अपील में अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किए है कि अपीलार्थी की नियुक्ति दिनांक 25.03.1989 को अस्थाई रूप से सत्रांक तक की अवधि के लिए अध्यापिका के रूप में की गई थी। इसके पश्चात् अपीलार्थी की सेवा आदेश दिनांक 21.04.1989 के आदेश द्वारा समाप्त कर दी गई। बाद में अपीलार्थी को पुनः अस्थाई रूप से अध्यापक के पद पर अस्थाई नियुक्ति आदेश दिनांक 22.08.1989 के द्वारा दी गई जिस पर अपीलार्थी ने दिनांक 01.09.1989 को कार्यभार ग्रहण किया। अपीलार्थी ने दिनांक 01.09.1989 से अपनी नियमित सेवाएं दी गई थी। अपीलार्थी को उसकी सेवाओं में बढोत्तरी नहीं किए जाने का आदेश दिये जाने पर अपीलार्थी ने उसे माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी के पक्ष में स्थगन आदेश पारित किया था, तत्पश्चात् अपीलार्थी निरन्तर कार्य कर रही थी। परन्तु अपीलार्थी को चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 14.08.1991 से नियुक्ति मानकर दिया गया, जबकि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति की दिनांक 01.09.1989 है और अपीलार्थी चयनित वेतनमान का लाभ भी दिनांक 01.09.1989 से प्राप्त करने का अधिकारी है। उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए अपीलार्थी ने प्रार्थना की है कि अपीलार्थी को चयनित वेतनमान का लाभ उसकी प्रथम नियुक्ति की दिनांक 01.09.1989 से मानते हुए प्रदान किया जाये और अपीलार्थी का पीपीओ आदेश भी उसी के अनुसार संशोधित किया जाये।
2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि पूर्व में अपीलार्थी की नियुक्ति तदर्थ रूप से की गई थी। अपीलार्थी की सेवाएं दिनांक

31.07.1991 से समाप्त कर दी गई। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पश्चात अपीलार्थी को पुनः दिनांक 14.08.1991 को सेवा में रखा गया। तभी से अपीलार्थी की सेवा की गणना की जाकर अपीलार्थी को दस वर्ष पूर्ण होने पर प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान किया गया।

3. हमने दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलार्थी का तर्क रहा है कि पूर्व में अपीलार्थी अप्रशिक्षित अध्यापक के रूप में दिनांक 01.09.1989 से अपनी सेवाएं दे रहा था। इसके विपरित प्रत्यर्थी विभाग का कथन रहा है कि अपीलार्थी को दिनांक 31.07.1991 से सेवा से पृथक कर दिया गया। इसके पश्चात माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार अपीलार्थी को दिनांक 14.08.1991 से पुनः सेवा में रखा गया और अपीलार्थी की सेवा की गणना भी दिनांक 14.08.1991 से की जाकर अपीलार्थी को दस वर्ष पूर्ण होने पर चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया। उपरोक्त तथ्यों के संदर्भ में सत्यता का परीक्षण करने के लिए अनुलग्नक–5 का अवलोकन करे तो उससे प्रकट होता है कि कार्यालय पंचायत समिति, जैसलमेर ने आदेश दिनांक 10.06.2004 पारित कर अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 14.08.1991 मानी है और उसी दिनांक से नियमित नियुक्ति मानते हुए दस वर्ष पूर्ण करने पर अपीलार्थी को दिनांक 14.08.2001 से प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ स्वीकृत किया है। उक्त आदेश के पश्चात अपीलार्थी ने प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ भी प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार प्रत्यर्थी विभाग ने प्रारम्भ से ही अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति 14.08.1991 से ही मानी है। उक्त आदेश दिनांक 10.06.2004 को अपीलार्थी ने किसी भी स्तर पर चुनौती नही दी थी। अपीलार्थी ने लगभग 18 वर्ष पश्चात यह अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलार्थी को चयनित वेतनमान का लाभ उसकी प्रथम नियुक्ति दिनांक 14.08.1991 से नही मानी जाकर 01.09.1989 से माना जाकर दिया जाए। जबकि अपीलार्थी ने स्वयं ने अपनी प्रथम नियुक्ति की दिनांक 14.08.1991 के आधार पर समस्त लाभ पूर्व में प्राप्त कर लिये है। अब अपीलार्थी द्वारा काफी लम्बे समय पश्चात अपनी प्रथम नियुक्ति की दिनांक में परिवर्तन कराने के लिए बाधित है, क्योंकि अपीलार्थी पूर्व में अपनी प्रथम नियुक्ति की दिनांक 14.08.1991 से माना जाना स्वीकार कर चुका है।

4. परिणामस्वरूप हम इस अपील में कोई बल नहीं पाते है अतः यह अपील खारिज की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)